भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4223
29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: बांस आधारित उत्पादों हेतु मूल्य श्रृंखला विकास

4223. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांस आधारित उत्पादों के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए कोई योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना के तहत उद्यमियों के लिए सूक्ष्म और मध्यम संकरण केंद्र स्थापित करने के प्रावधानों की सूची क्या है; और

(ग) पुनर्गठित 'राष्ट्रीय बांस मिशन' (एनबीएम) की स्थापना के बाद से स्थापित सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): सरकार बांस उत्पादकों को बाजार (उद्योग) से जोड़ने के लिए बांस मूल्य श्रृंखला विकसित करने हेतु वर्ष 2018-19 से पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के तहत, उद्यमियों सहित सरकारी/निजी एजेंसियों को मूल्यवर्धन, अपशिष्ट प्रबंधन और सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एनबीएम के तहत दी गई सहायता के पैटर्न का विवरण **अनुबंध-I** में है।

(ग): अब तक, योजना की शुरुआत से सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों सहित 380 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

अनुबंध-I

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदान की गई सहायता का पैटर्न

ग.	**उत्पाद विकास और प्रसंस्करण**			
क्र. सं.	**गतिविधि**		**लागत मानदंड (रु. लाख में)**	**सब्सिडी**
1.	बांस के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	क्रॉस कटिंग, स्लाइसिंग, स्प्लिटिंग, नॉटस रिमूविंग, शेपिंग आदि के लिए यूनिट की स्थापना।	30 (परियोजना आधारित-पीबी)	लागत का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%)
2.	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों में बांस अपशिष्ट का प्रबंधन	पैलेट्स और सक्रिय कार्बन जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने के लिए।	25(पीबी)	-वही-
3.	सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	क) हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग	15(पीबी)	सरकार को लागत का 100% निजी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 50% जो कि क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम सांकेतिक लागत के अध्यधीन है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%)
		ख) फर्नीचर बनाना	25 पीबी)	- वही -
		ग) आभूषण बनाना	15(पीबी)	- वही -
		घ) बांस शूटस प्रसंस्करण	20(पीबी)	- वही -
		ड.) अगरबत्ती बनाना	25(पीबी)	- वही -

		च) कपड़ा/फाइबर निष्कर्षण	50(पीबी)	- वही -
		छ) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)	25(पीबी)	-वही-
		ज) बांस बोर्ड/चटाई/लहरदार चादरें/फर्श टाइल बनाना	200 (पीबी)	सरकार को लागत का 100% निजी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 30% जो कि क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम सांकेतिक लागत के अध्यधीन है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%)
		झ) जैव ऊर्जा निष्कर्षण	200 (पीबी)	-वही-
		ञ) सक्रिय कार्बन उत्पाद	200 (पीबी)	-वही-
		ट) एथनॉल गैसीफायर	500(पीबी)	-वही-

****